

19/2

पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक सच द्वारा
कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार
पत्रावली दि 2/3/21 को पेश दो।

09-02-21

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा व पत्रावली
नन्दाराम हाजिर हैं। वकील शर्मा द्वारा
आवेदन पेश कर विवेकन किया गया कि
मूल बंद विज्ञो होने से T-I आ-पत्र का कोई
औचित्य न होने से आ-पत्र T-I खासिय
परमाका जागे। पत्रावली का अवलोकन किया
गया, उक्त आ-पत्र का अवलोकन किया
गया। पत्रावली इन कोई औचित्य न होने
से खासिय की जाती है। पत्रावली कोसल
द्वारा ठेकर ठेकर से कम ठेकर काखील
हस्ताक्षर से। आदेश खुले द्यायालय में
सुनाया गया।

